मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन–मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक एफ–8/2009/नियम/चार भोपाल,दिनांक 23 मार्च, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय.. मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के संबंध में स्पष्टीकरण ।

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8/2009/नियम/चार दिनांक 28 फरवरी 2009 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित किये गये हैं । कतिपय विभागों /कर्मचारियों संघों/अधिकारियों द्वारा वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण चाहे जा रहे हैं। अतः मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतनवृद्धि तथा पदोन्नति के साथ ही अन्य बिन्दुओं पर भी निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रसारित किये जाते हैं :–

1 **आगामी वेतनवृद्धि की तारीख** : मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम–9 के अनुसार, वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि एक समान (one uniform date) अर्थात प्रत्येक वर्ष की एक जुलाई होगी तथा ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने पुनरीक्षित वेतन ढांचे में 01 जुलाई को 6 माह या अधिक अवधि की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, को वेतनवृद्धि की पात्रता होगी तथा इस अनुसार ऐसे सभी शासकीय सेवक, जिन्होंने दिनांक 2.1.2005 और दिनांक 1.1.2006 के मध्य वेतनवृद्धि अर्जित कर ली हो, की आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 1.7.2006 होगी।

ऐसे शासकीय सेवक जिनकी वेतनवृद्धि की तिथि दिनांक 1.1.2006 को आ रही है उनके प्रकरणों में पुनरीक्षण से पूर्व के मौजूदा वेतनमान में दिनांक 1.1.2006 की स्थिति में एक वेतनवृद्धि जोडने के बाद पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा ऐसे शासकीय सेवकों की आगामी वेतनवृद्धि की तारीख भी दिनांक 1.7.2006 रहेगी ।

2. **1.1.2006 के बाद पदोन्नति के प्रकरणों में वेतन निर्धारण :** पदोन्नति के समय संबंधित शासकीय सेवक यह विकल्प दे सकता है कि वह उच्च पद की पदोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण करवाये अथवा उस शासकीय सेवक को प्राप्त होने वाली आगामी वेतनवृद्धि की तारीख यथा उस वर्ष की एक जुलाई से वेतन निर्धारण करवायें। ऐसे प्रकरणों में पुनरीक्षित वेतन ढांचे के अन्तर्गत निम्न रीति से उसका वेतन नियत होगा :--

(अ) ऐसे मामलों में जहां शासकीय सेवक, आगामी वेतनवृद्धि की तारीख से वेतन निर्धारण का विकल्प लेता है वहां पदोन्नति की तारीख को उसके विद्यमान वेतन बेंड में वेतन वही रहेगा जो पदोन्नति की तारीख से पूर्व था परंतु उच्च पद का ग्रेड वेतन उसे स्वीकृत कर दिया जायेगा । आगे आगामी वेतनवृद्धि की तारीख यथा एक जुलाई को उसका पुनः वेतन निर्धारण होगा तथा इस तिथि को उसे दो वेतनवृद्धि स्वीकृत की जायेगी, एक नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि और दूसरी पदोन्नति के लिये । वेतनवृद्धि की गणना पदोन्नति के पूर्व प्राप्त वेतन के आधार पर की जावेगी । उदाहरण के लिए यदि पदोन्नति की तारीख से पहले मूल वेतन 100 रूपये है तो पहली वेतनवृद्धि की गणना 100/- रूपये पर की जायेगी, और फिर दूसरी वेतनवृद्धि की गणना 103/- रूपये पर की जायेगी।

(ब) ऐसे मामलों में जहां शासकीय सेवक उच्च पद की पदोन्नति की तिथि से ही वेतन निर्धारण करने का विकल्प देता है, उन मामलों में उसे पदोन्नति पूर्व के मूल वेतन में 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जावेगी एवं उसकी उच्च पद पर वेतनवृद्धि की तारीख अगली एक जुलाई होगी, यदि उसकी पदोन्नति 02 जुलाई से एक जनवरी के बीच हो, तथा यदि उसकी पदोन्नति संबंधित वर्ष की 02 जनवरी से 30 जून के बीच होती है तो उसे अगले वर्ष की एक जुलाई को वेतनवृद्धि देय होगी अर्थात यदि किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति 02 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी, 2007 के मध्य होती है तो उसकी आगामी वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2007 होगी । यदि उसकी पदोन्नति 02 जनवरी, 2006 से 30 जून 2006 के मध्य होती है तो उसकी वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2007 होगी ।

3. **मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम–10 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये वेतन तालिकाओं का उपयोग :** मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम–10 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये वेतन तालिकायें दी गई है। जब किसी शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण नियम–10 अनुसार दिनांक 1.1.2006 की स्थिति में या विकल्प अनुसार तिथि को किया जाना है तो इन तालिकाओं का उपयोग किया जा सकता है तथा इसके बाद देय वार्षिक वेतनवृद्धि की गणना नियम–9 में दी गई विधि अनुसार होगी ।

4. **क्रमोन्नत वेतनमान / समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण :–**

अ. क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006/1–4–2006 की स्थिति में लागू क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान में प्राप्त कर रहे वेतन के आधार पर वेतन निर्धारित किया जायेगा तथा क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान के सापेक्ष संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान में निर्धारित ग्रेड पे भी देय होगी ।

ब. ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिनांक 1–1–2006/1–4–2006 के पश्चात क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान प्राप्त हुआ है, को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 6 के अनुसार विकल्प की सुविधा है अर्थात वह क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान प्राप्त करने की दिनांक से इस वेतनमान के चयन का विकल्प दे सकता है । विकल्प न देने की दशा में दिनांक 1–1–2006/1–4–2006 को प्राप्त विद्यमान मूल वेतनमान के आधार पर इन नियमों के तहत वेतन निर्धारण किया जायेगा । तत्पश्चात क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान प्राप्त होने की दिनांक को उसे केवल क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान के सापेक्ष संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान में निर्धारित ग्रेड पे देय होगी । जहाँ क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान प्राप्त होने की स्थिति में वेतन बैंड में तब्दीली जरूरी हो ऐसी स्थिति में इसी पद्वति का पालन किया जावेगा तथा जहां वेतन बैंड में वेतन क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान के उच्च वेतन बैंड के पद के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जावेगा ।

5. दिनांक 1–1–2006 से इस आदेश के जारी होने के मध्य पदोन्नत/क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को 3 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी । इस आदेश के जारी होने के पश्चात पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान के मामले में संबंधित शासकीय सेवक को 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी । विकल्प का प्रारूप "प्रपत्र–दो" पर है ।

6. मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–8/2009/नियम/चार, दिनांक 28 फरवरी, 2009 के संलग्न वेतन नियतन पत्रक "प्रपत्र–एक" अनुसार संशोधित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग